भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
***
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 683

(जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 16 अगस्त, 2012/25 श्रावण, 1934 (शक) को दिया जाना है)

विदेशों में जमा काला धन

683. श्री कुमार दीपक दास:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में जमा अवैध निधि को वापस लाने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने की कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशों में जमा काले धन के अनुमान का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमाणिक्कम)

(क): कर अपवंचन के विरूद्ध अभियान एक निरंतर एवं सतत् प्रक्रिया है सरकार ने विदेश में अवैध रूप से जमा देश के धन को वापस लाने के उद्देश्य से एक व्यापक पांच आयामी रणनीति भी बनाई है। रणनीति में निहित है;

(i) 'काले धन' के विरूद्ध वैश्विक युद्ध में शामिल होना;
(ii) एक समुचित विधायी रूपरेखा का सृजन;
(iii) अवैध निधि से निबटने हेतु संस्थानों का गठन;
(iv) कार्यान्वयन हेतु प्रणाली का विकास; तथा
(v) कारगर कार्रवाई हेतु मानव शक्ति को दक्ष बनाना।

जब भी विभाग द्वारा किसी गुप्त संव्यवहार के संबंध में कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त की जाती है तो विभाग द्वारा प्रत्यक्ष कर कानूनों के उपबंधों के अनुसरण में आवश्यक कार्रवाई की जाती है ताकि किसी भी कर न लगाई गई राशि पर कर लगाया जा सके। उचित मामलों में आर्थिक दंड एवं अभियोजन की कार्यवाही भी शुरू की जाती है।

(ख): विदेश में रखे काले धन को वापस लाने में कुछ कठिनाइयां निम्नवत हैं:-

(i) अन्य देशों द्वारा जांच के अन्तर्गत केवल विशिष्ट मामलों में ही सूचना उपलब्ध कराई जाती है।

(ii) सूचना के स्वत: विनिमय के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराए जाने पर कोई अन्तर्राष्ट्रीय एकमतता नहीं बन पाई है।

(iii) कुछ देशों द्वारा पूर्व की सूचनाएं उपलब्ध कराने में आपत्तियां जतायी गई हैं।

(ग): भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशी खातों में जमा किए गए धन, जो उनके वैध विदेशी जमाओं के अतिरिक्त है, का अनुमान लगाने के लिए कोई सत्यापन योग्य सूचना नहीं है। तथापि, वित्त संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने राष्ट्रीय स्तर के तीन संस्थानों नामत: (i) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी), (ii) राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम), तथा (iii) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) द्वारा देश के भीतर एवं बाहर अलेखागत आय /धन की मात्रा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभावों का अनुमान लगाने के लिए अध्ययन शुरू कराया है। अध्ययन के सितम्बर, 2012 तक पूरा हो जाने की आशा है।

*****